जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 02.05.2021

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा पर आये "ग्राम रामपुर खेडी निवासी धीरज की हत्या" के हत्याभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कराया बरामदः-

दिनांक 29.03.2021 को ग्राम रामपुर खेडी थाना कांधला निवासी धीरज अपने घर से गया था, जो बापस नहीं लौटा था । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2021 को थाना कांधला पर परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई जिसके अगले दिन दिनांक 31.03.2021 को उसका अधजली अवस्था में शव बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में मृतक धीरज के भाई नीरज कुमार पुत्र रामदास निवासी रामपुर खेडी की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। हत्या में लिप्त 02 अभियुक्त सोनू व राजन को दिनांक 01.04.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनके अलावा हत्या में शामिल अंकित गिरी पुत्र अंग्रेज गिरी निवासी रामपुर खेडी थाना कांधला जनपद शामली फरार था, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय शामली के समक्ष दिनांक 19.04.2021 को हाजिर होकर जेल चला गया था, जिसके संबंध में थाना कांधला पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए प्रत्यावेदन किया गया था। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा कांधला पुलिस को अभियुक्त अंकित गिरी का दिनांक 01.05.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिसको कांधला पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस बरामद कराया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त अंकित गिरी-

1-मु0अ0सं0 132/21 धारा 364, 302,201,120B,34 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-

1- घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस।

<u>थाना आदर्शमण्डी</u>

आदर्शमण्डी थानाक्षेत्र के ग्राम बधैव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में शामिल 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

दिनांक 01/02.05.2021 की देर रात्रि थाना आदर्शमण्डी पुलिस को ग्राम बधैव में दो पक्षों में चुनाव चर्चा को लेकर झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल आदर्शमण्डी पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस द्वारा झगडा कर रहे दोनों पक्षों के 02 लोगों को विवाद में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड व 01 लाठी सहित गिरफ्तार कर लिया गया तथा शेष मौके से भाग गये। घटना एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा विवाद में शामिल रहे मौके से फरार हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष आदर्शमण्डी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1- सौरभ उर्फ रजत पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम बधैव थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2- सचिन पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम बधैव थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- विवाद में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड व 01 लाठी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2- का0 नीटू कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3- का0 विकास सांगवान थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।